फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत : जिला कलक्टर मुकाम : बांसवाड़ा

प्रार्थी :–		अप्रार्थी :–
श्री रत्नेश उपाध्याय, निवासी– 1–बी–16, न्यू हाउसिंग बोर्ड (शास्त्री नगर योजना) अमरदीप नगर के पास, बांसवाडा (राज.)	बनाम	तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा

अपील अन्तर्गत धारा 19 (01) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

मु. नं. : 9/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07.04.2025	श्री रत्नेश उपाध्याय की ओर से अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त हुई। अपीलांट अनुसार उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 06–02–2025 (पोस्टल ऑर्डर 65 F 877472) द्वारा चाही गयी सूचना तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा द्वारा उपलब्ध नहीं कराने के कारण यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। विपक्षी तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा को नोटिस जारी किया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 23–04–2025 को पेश हो। (डॉ. इंद्रजीत यादव) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)	
23/4/25	पत्रावली पेश हुई रेस्पोंडेंट लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बांसवाड़ा की ओर से जवाब पेश हुआ। अपीलांट ने उपस्थित होकर अवगत कराया कि वांछित सूचना प्राप्त हो चुकी है। अब आगे अपील में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। चूंकि रेस्पोंडेंट द्वारा अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करा दी गई है। अतः प्रकरण में अब कोई कार्यवाही [illegible] अपील अपीलार्थी निस्तारित [illegible] पत्रावली [illegible] शुमार होकर दा. द. हो। लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा (राज.)	आदेश [illegible] सूचना [illegible] हो चुकी है, [illegible] निस्तारण पत्रावली [illegible] 23/4/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.07.24 12:02:49 IST
Reason: SelfAttested